रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239046
CG-DL-E-23092022-239046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
No. 639]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 720(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो, निदेशक (अयस्क प्रसाधन), प्रमुख अयस्क प्रसाधन अधिकारी, आधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), अयस्क प्रसाधन अधिकारी, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी और सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उसका संबंध सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, में सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी।	30* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पैंतीस वर्ष । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अयस्क प्रसाधन या खनिज प्रसंस्करण या भूविज्ञान या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनिज इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में इंजीनियरी में बैचलर	आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हता: नहीं।	दो वर्ष। **टिप्पण:** सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों द्वारा परिवीक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कम से कम दो सप्ताह की अवधि का	(i) 25% प्रोन्नति द्वारा । (ii) 75% सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	डिग्री या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री; (ख) किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या धातुशोधन संयंत्र से विभिन्न अयस्कों और खनिजों के धातुशोधन के लिए खनिज धातुशोधन या खनिज अभिलक्षणन संचालन में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अयस्क प्रसाधन या भूविज्ञान या खनिज प्रसंस्करण या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनिज इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा ।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपये) में ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खनिज धातु शोधन या खनिज अभिलक्षणन के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवा-कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, खान मंत्रालय - सदस्य; 3. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. ज्येष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 22/4/2011- एम-III-भाग (1)]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

G.S.R. 720(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Bureau of Mines, Director (Ore Dressing), Chief Ore Dressing Officer, Superintending Officer (Ore Dressing), Ore Dressing Officer, Deputy Ore Dressing Officer, Assistant ore Dressing Officer and Assistant Research Officer (Ore Dressing) Recruitment Rules, 2003,in so far as it relates to the post of Assistant Ore Dressing Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Assistant Ore Dressing Officer (Group ‘A’ Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Ore Dressing Officer.	30* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 10 in the pay matrix. (Rs.56100-177500).	Selection post.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** (a) Masters Degree in Ore Dressing or Mineral Processing or Geology or Physics or Chemistry from a recognised University or institute; OR Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or institute; (b) three years experience in conducting mineral beneficiation or mineral characterisation for beneficiation of various ores and minerals from a recognised laboratory or beneficiation plant. **Desirable:** Doctorate Degree in Ore Dressing or Geology or Mineral Processing or	Age: No Education Qualification: No	Two years **Note:** Direct recruits are required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as specified by the competent authority, for completion of probation.	(i) 25 per cent. by promotion. (ii) 75 per cent. by direct recruitment.

	Physics or Chemistry from a recognised University or institute; OR Master of Technology in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion: Assistant Research Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of Mineral Beneficiation or Mineral Characterisation conducted by the Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute. **Note:**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Director, Ministry of Mines –Member; 3. Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines- Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines – Chairman; 2. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – Member; 3. Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – Member.	

[No. 22/4/2011-M.III-Part (1)]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA